राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकःप0 5(31)/साप्र/3/82 जयपुर,दिनांक 03-09-2012

आदेश

माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण एवं विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हे मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है वर्तमान में टेलीफोन के बिल में कॉल्स के अंकन की व्यवस्था समाप्त कर उसके स्थान पर केवल राशि का अंकन किया जाता है। अतः भविष्य हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है।

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान कॉल्स सीमा (दो माह)	संशोधित वित्तीय सीमा (प्रतिमाह)
1.	मा0 मंत्री हेतु मा0 राज्यमंत्री हेतु	20000 17000 कॉल्स प्रति दो माह	₹10000/- ₹ 8500/- प्रतिमाह
2.	मा0 मंत्री स्तर हेतु मा0 राज्यमंत्री स्तर हेतु मा0 उपमंत्री स्तर हेतु	20000 17000 - कॉल्स प्रति दो माह	₹ 10000/- ₹ 8500/- ₹ 3750 प्रतिमाह

मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हे मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है को स्थायी लैण्ड लाईन टेलीफोन पोस्टपेड मोबाइल टेलीफोन के अतिरिक्त ब्राडबैण्ड व इन्टरनेट भी मॉडम सहित की सुविधायें भी उपरोक्तानुसार निर्धारित वित्तीय सीमान्तर्गत अनुज्ञेय होंगी। संसदीय सचिवगंण को राज्यमंत्री के समान वित्तीय सीमा अर्न्तगत सुविधा प्राप्त होगी। उपमंत्री हेतु दरें दिनांक 1.4.12 से प्रभावी होंगी। अन्य शर्ते पूर्ववत यथावत लागू रहेगी।

यह आदेश इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2.4.10 तथा आदेश संख्या प0 5(51)साप्र/3/04 दिनांक 6.9.10 के अधिक्रमण में जारी किये जाते है।

यह संशोधित आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई0डी0 संख्या 101202351 दिनांक 8.8.12 द्वारा दी गयी सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चन्द्र मोहन मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त आयोगों के अध्यक्षगण/उपाध्यक्षण जिन्हे मंत्री/ राज्यमंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है।
4. निजी सचिव (उप सचिव) मुख्य सचिव।
5. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि भविष्य में प्रसारित किये जाने वाले आदेशों में वित्तीय सीमा का ही अंकन किया जाये।
7. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
उप शासन सचिव